भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3052
उत्तर देने की तारीख 08 अगस्त, 2023
17 श्रावण, 1945 (शक)

पंडित दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष

3052. श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या) :
श्री विनोद कुमार सोनकरः
श्री राजा अमरेश्वर नाईक:
श्री भोला सिंहः
डॉ. सुकान्त मजूमदारः
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः
डॉ. जयंत कुमार राय:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में खिलाड़ियों को सहायता प्रदान करने के लिए पंडित दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष (पीडीयूएनडब्ल्यूएफ) की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस निधि से लाभान्वित खिलाड़ियों की राज्य-वार और खेल - वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक पदक विजेता खिलाड़ी वित्तीय रूप से दयनीय स्थिति में हैं और विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस निधि से ऐसे खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) इस निधि से सहायता की राशि निर्धारित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख) : जी हां । सरकार निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए "खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष (पीडीयूएनडब्ल्यूएफ)" स्कीम कार्यान्वित कर रही है:

(i) आर्थिक तंगी में रह रहे उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उपयुक्त सहायता प्रदान करना;

(ii) प्रतियोगिताओं के लिए प्रशिक्षण की अवधि तथा प्रतियोगिताओं के दौरान चोटिल हुए उत्कृष्ट खिलाड़ियों को चोट की प्रकृति के आधार पर उपयुक्त सहायता प्रदान करना;

(iii) चिकित्सा उपचार के लिए खिलाड़ियों को उपयुक्त सहायता प्रदान करना;

(iv) आर्थिक तंगी में रह रहे खिलाड़ियों और उनके आश्रितों के संकट को कम करने के लिए खिलाड़ियों के कल्याण के लिए उपयुक्त सहायता प्रदान करना;

(v) आर्थिक तंगी में रह रहे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, खेल उपकरणों की खरीद, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में प्रतिभागिता आदि के लिए उपयुक्त सहायता प्रदान करना।

(ग) से (ङ) : पिछले पांच वर्षों के दौरान इस कोष से सहायता प्रदत्त खिलाड़ियों की राज्य-वार और खेल-वार सूचना इस मंत्रालय की वेबसाइट https://yas.nic.in. पर उपलब्ध है ।

(च) आर्थिक तंगी में रह रहे उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पीडीयूएनडब्ल्यूएफएस स्कीम के तहत 5.00 लाख रु. तक और खिलाड़ियों या उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा उपचार के लिए 10.00 लाख रु. तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

*****